अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु नए नियम

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने से पहले **एजेंसियों के लिये दिशा-निर्देश** जारी किये हैं।

- **ध्वस्तीकरण को अंतिम रूप देने से पहले नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिये तथा व्यक्तिगत सुनवाई** का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिये।

मुख्य बिंदु

- **ध्वस्तीकरण के नये नियम:**
  - **अनिवार्य कारण बताओ सूचना एवं प्रतीक्षा अवधि:**
    - कारण बताओ सूचना जारी किये बिना कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य नहीं किया जाना चाहिये।
    - एजेंसियों को ध्वस्तीकरण का आदेश देने से पहले नोटिस प्राप्ति की तारीख से **15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी।** नियम **अपील का अवसर प्रदान करते हैं,** अंतिम आदेश के बाद **15 दिनों** के लिये ध्वस्तीकरण में देरी होनी चाहिये।
    - मालिकों/कब्ज़ेदारों को अनाधिकृत संरचनाओं को स्वयं हटाने या ध्वस्त करने के लिये **15 दिन का समय** दिया जाना चाहिये।
  - **पारदर्शिता उपाय:**
    - **नोटिस, उत्तर** और **आदेश सहित सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण करने के लिये तीन महीने के भीतर** एक **डिजिटल पोर्टल** स्थापित किया जाना चाहिये।
    - **नोटिस ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय को ईमेल के माध्यम से** स्वचालित पावती के साथ भेजे जाने चाहिये।
    - व्यक्तिगत सुनवाई के विवरण अवश्य दर्ज किये जाने चाहिये।
  - **विध्वंस आदेश एवं अनुपालन:**
    - अंतिम आदेश में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिये:
      - क्या संरचना **समझौता योग्य है** (शुल्क देकर नियमित किया जा सकता है)।
      - **अनाधिकृत/गैर-शमनीय** भागों का विवरण।
      - विध्वंस क्यों आवश्यक है?
    - इन नियमों का पालन न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध **अवमानना कार्यवाही** और **अभियोजन चलाया जा सकता है।**
  - **कानूनी एवं प्रशासनिक टिप्पणियाँ:**
    - नये नियमों में कई कदम पहले से ही विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत मौजूद हैं।
    - नई सुविधाओं का उद्देश्य ध्वस्तीकरण में **पारदर्शिता और स्थिरता में सुधार लाना है।**
    - ज़ल्दबाजी में किये गए **ध्वस्तीकरण** और **पुराने ध्वस्तीकरण आदेशों के लंबित रहने के** कारण **कदाचार** और **अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलता है।**
    - नगर निगम के अधिकारियों ने अनुपालन की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि अस्थायी अतिक्रमणों से **उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959** के तहत निपटा जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-rules-for-demolishing-unauthorised-constructions